



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जौनपुर
केराकत
201940030186682
646203015304

जारी दिनांक: 26/10/2020

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/सुन्दी
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

अंकुश यादव
अवधराज यादव
सरोजा देवी
,बेहरा मसौढ़ा
बेहरा
केराकत
जौनपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत सान्तवता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अंकुश यादव पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० ० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संघ्या 22/16/92 दी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल व्याधिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९९४ से यथा विहिप हूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: प्रियंका यादव, सहज जन सेवा केन्द्र
पद: प्रियंका यादव, केन्द्र प्रभारी
स्थान: SARAUNI PURAB
PATTI, केराकत, SARAUNI PURAB
PATTI, केराकत, जौनपुर
दिनांक: 31/10/2020

हस्ताक्षर एवं मुहर

वह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के विभिन्न कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

RAM SUDHAR
Digitally Signed by
RAM SUDHAR
O=REVENUE
DEPARTMENT,
OU=REVENUE
DEPARTMENT,
S=Uttar pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
केराकत, जौनपुर
दिनांक: 26/10/2020